(2)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—काना राम, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—113/2023 विविध(धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

पीरामल केपीटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय मुम्बई—400070 तथा शाखा कार्यालय—302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, आकाशवाणी के सामने, एम. आई. रोड़, जयपुर (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री सुरेन्द्र पारीक।

——प्रार्थी

बनाम

1. श्री अमन पुत्र ओम प्रकाश पता पुरानी नगर पालिका के पास रैगर मोहल्ला वार्ड नं. 21 तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

——ऋणी

2. श्री ओमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय श्री जट्टू राम पता पुरानी नगर पालिका के पास रैगर मोहल्ला वार्ड नं. 21, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——सहऋणी

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र।

दिनांकः—06.03.2024

आदेश

प्रार्थी पीरामल केपीटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय मुम्बई—400001 तथा शाखा कार्यालय—302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, आकाशवाणी के सामने, एम.आई. रोड़, जयपुर (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री सुरेन्द्र पारीक की ओर से श्री जयपाल झोरड़ वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। प्रार्थी बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी पीरामल कैपिटल हाऊसिंग फाइनेंस, लिमिटेड का पूर्ववृत नाम डी.एच.एफ.एल. (अर्थात् दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) था एवं उक्त के सम्बन्ध में एक सर्टिफिकेट, "Certificate of Incorporation pursuant of change of Name" dated 03.11.2021 had been issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India office at Registrar of Companies, Mumbai द्वारा जारी किया गया है एवं जिसके परिणामस्वरूप सभी पश्चातवर्ती एवं अग्रिम कार्यवाहियों में उक्त सर्टिफिकेट के प्रभावी होने से अब प्रार्थी वितीय संस्था को पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ही पढ़ा जाएगा।

प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक 18.11.2016 को जरिये Loan Application ID 01390944 & Loan Code No. 00000173 अधीन ऋण स्वीकृत एवं दिनांक [illegible] 2017 को ऋण अनुबंध निष्पादित कर ऋण राशि 11,08,885/— रूपये की ऋण राशि दिनांक [illegible].01.2017 को स्वीकृत व वितरित की गई थी। अप्रार्थीगण ने उक्त [illegible] अपनी अचल आवासिय सम्पति पुरानी नगर पालिका के पास रैगर मोहल्ला वार्ड नं. 21, हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (पट्टा नं. 8/17.10.2003) मकान स्थित है जिस[illegible] भूमि, भवन व ढाँचा आदि सम्पति के अभिन अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 78.15 वर्ग मीटर है, जो कि श्री ओमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय श्री जट्टू राम के नाम से हैं, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:42:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

(3)

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के उक्त ऋण को समय पर चुकाने में असफल होने और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी कंपनी द्वारा अप्रार्थी के ऋण खाता को रिजर्व कंपनी ऑफ इण्डिया के दिशा–निर्देशानुसार दिनांक 11.04.2022 को गैर–निष्पादनीय आस्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। अप्रार्थीगण के ऋण खाता में बकाया राशि 11,89,509/– रूपये दिनांक 30.04.2022 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया निकलते है और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी कंपनी ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अप्रार्थी को मांग सूचना दिनांक 23.05.2022 भेज कर ऋण राशि 11,89,509/– दिनांक 30.04.2022 तक बकाया रकम व ब्याज देय निकलते है, की मांग की गई। प्रार्थी कंपनी के वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी कंपनी की बकाया रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया।

अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि कंपनी को जमा नहीं करवाई है और न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी कंपनी को दिया गया। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कंपनी उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी कंपनी को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सके।

पीरामल केपीटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शाखा जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से उपस्थित वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा कंपनी को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान कंपनी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा पीरामल केपीटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी कंपनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी कंपनी के पास रहनशुदा अचल आवासिय सम्पति पुरानी नगर पालिका के पास रैगर मोहल्ला वार्ड नं. 21, हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (पट्टा नं. 8/17.10.2003) मकान स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढाँचा आदि सम्पति के अभिन अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 78.15 वर्ग मीटर है, जो कि श्री ओमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय श्री जट्टू रामके नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कंपनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी कंपनी को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी कंपनी द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 06.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:42:49 IST
Reason: Self Attested

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़